प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय,उ0प्र0 मेरठ

सेवा में ,

प्रबन्धक,
संस्कृत विद्या मंदिर हा0से0 स्कूल,
बैंक कालोनी, कोसीकलां मथुरा।

पत्रांक : मा0शि0प0 / मान्यता / मे0 / **150** दिनांक– **24 जुलाई, 2025**

विषयः सीधे हाईस्कूल नवीन (कक्षा 6–10) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में आयोजित मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति ,माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 912/15–7–2025–1 (02)/2025 उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7, लखनऊ दिनांक 18 जुलाई, 2025 के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम–1921 (यथा संशोधन 2022) की धारा 7(4) के अन्तर्गत आपकी संस्था **संस्कृत विद्या मंदिर हा0से0 स्कूल बैंक कालोनी, कोसीकलां मथुरा** को बालक विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2027 से निम्नलिखित सामान्य एंव विशेष प्रतिबन्धो के अधीन सभी अनिवार्य एंव वैकल्पिक विषयों के साथ (वनटाइम) वित्त विहीन मान्यता दिये जाने के आदेश प्रदान किए गए है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 (यथा संशोधित–2022) की धारा 7(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 6–10 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था ,साज–सज्जा ,शिक्षण सामग्री ,प्रयोगशाला ,भवन ,पुस्तकालय ,प्राभूत, सुरक्षित कोष एंव आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धो की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एंव परिषद को 6–10 कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) विद्यालय को प्रदान की गयी मान्यता के अतिरिक्त अन्य अमान्य कक्षाएं संचालित न की जायें।

(4) इस पत्र में अकित विषयो के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।इस हेतु व्यय होने वाली धनराशि अपने निजी स्रोतो से प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन करना होगा।

(5) यह मान्यता वित्तविहीन प्रदान की जा रही है। विद्यालय की प्रशासनिक एंव शिक्षण की व्यवस्था तथा साज–सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने निजी स्रोतो से वहन करेंगे।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नही होगा।

कृ0प0उ0

विशेष प्रतिबन्ध

(क) यदि प्रदत्त मान्यता के पश्चात मान्यता प्रदान किये जाने के समय प्रस्तुत संस्थाओं के मानकों में विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित संस्थाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। और तद्नुसार कमी पाये जाने पर प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ख) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाए मान्य नही होगी।

(ग) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरूद्व योजित क्लियरीफिकेशन एप्लीकेशन में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

(घ) प्रदान की जा रही मान्यता का नवीनीकरण 03 वर्ष के उपरान्त कराना अनिवार्य होगा।

टिप्पणी –इस पत्र में अकित समस्त सामान्य एंव विशेष प्रतिबन्धो की पूर्ति 6(छः)माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा ।

भवदीय

(ज्योति प्रसाद)
अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय ,उ0प्र0मेरठ

पृष्ठांकन सं0: मा0शि0प0/मान्यता /मे0 / 150 (1–4) दिनांक– 24 जुलाई, 2025

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियो को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप सचिव (माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव ,माध्यमिक शिक्षा परिषद ,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुंरा

(ज्योति प्रसाद)
अपर सचिव